भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 298

दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

सोने के आयात में वृद्धि

***298. श्री रवि शंकर प्रसादः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2011–2012 में अप्रैल से फरवरी माह के दौरान भारी मात्रा में सोने का आयात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में कौन–कौन से संस्थान सोने का आयात करने हेतु प्राधिकृत हैं और उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थान द्वारा कितनी–कितनी मात्रा में और कितने–कितने मूल्य के सोने का आयात किया गया है और देश के चालू खाता घाटे पर इस आयात–मूल्य का क्या योगदान है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"सोने के आयात में वृद्धि" के बारे में राज्य सभा में 25 अप्रैल, 2012 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 298 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

.....

(क) और (ख) : वर्ष 2011-12 में अप्रैल-फरवरी के दौरान स्वर्ण आयात की कुल मात्रा लगभग 9,86,126 किग्रा. थी । सरकार ने विभिन्न नामित एजेंसियों के जरिए स्वर्ण के आयात की अनुमति दी है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 35 एजेंसियों को अर्थात इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया, कॉर्पोरेशन बैंक, द फेडरल बैंक लि0, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आंध्र बैंक, द एचडीएफसी बैंक लि0, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक लि0, धनलक्ष्मी बैंक लि0, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक लि0, करूर वैश्य बैंक लि0, कोटक महिन्द्रा बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक लि0, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक लि0 को नामित किया है ।

विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत वाणिज्य विभाग ने आठ अभिकरणों को अर्थात एमएमटीसी लि0, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी), प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन (पीईसी) ऑफ इंडिया लि0, एसटीसीएल लि0, एमएसटीसी लि0, डायमण्ड इंडिया लि0 (डीआईएल) तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) को नामित किया है । इसके अतिरिक्त, स्टार व्यापार घराने (केवल रत्न एवं आभूषण के लिए) और प्रीमियर व्यापार घराने भी स्वर्ण का आयात कर सकते हैं ।

वर्ष 2011-12 में अप्रैल-फरवरी के दौरान स्वर्ण के आयात का मूल्य 2,44,927.62 करोड़ रूपए (51,537.49 मिलियन अम.डॉलर) था । स्वर्ण के कारण चालू खाता घाटे के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत रत्न एवं आभूषणों का प्रमुख निर्यातक भी है और इस प्रकार आयातित स्वर्ण के एक हिस्से का मूल्यवर्धन के पश्चात पुनर्निर्यात कर दिया जाता है ।

.....